Received
10/02/2022

कार्यालय नाजरात अनुभाग जनपद न्यायालय भदोही ज्ञानपुर।
नीलामी की सूचना व शर्ते

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 2228/Registrar (P) Dated July 17- 2021 के सन्दर्भ में माननीय जिला जज भदोही ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 03.01.2022 के अनुक्रम में सरकारी वाहन संख्या यू0पी0 70ए0जी0/0600 **होण्डासिटी कार** को नीलाम किये जाने के बावत् शासनादेश संख्या 3817/30.04.24 के0एम0/86 दिनांकित अक्टूबर 31 1986 व शासनादेश संख्या 3747/30–4–97–24 केएम0/76 दिनांकित 4 अक्टूबर 1997 के द्वारा सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए विभागाध्यक्षों को अधिकृत किया गया है उक्त शासनादेश के अनुक्रम में माननीय जिला न्यायाधीश भदोही ज्ञानपुर के आदेश संख्या 36/2022 दिनांकित 20.01.2022 द्वारा राजकीय वाहन संख्या यू0पी0 70 ए0जी0/0600 होण्डासिटी कार को निष्प्रयोज्य घोषित करते हुए नीलाम किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसकी शर्ते निम्नवत है :–

1– उक्त वाहन सरकारी वाहन की नीलामी **दिनांक 02.03.2022 को सायं 4.00** जनपद न्यायालय भदोही ज्ञानपुर के मीटिंग हाल में की जायेगी वाहन का न्यूनतम मूल्य मु0 175000/–(One lac seventy five thousand) निर्धारित किया गया है।

2– नीलामी प्रकिया में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा वाहन के न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत (मु0 17500/–) जमा करने पर ही नीलामी प्रकिया मे प्रतिभाग कर सकेगे।

3– जिस प्रतिभागी द्वारा उच्चतम् बोली लगायी जायेगी उस प्रतिभागी द्वारा जमा जमानत धनराशि को उक्त धनराशि में समयोजित कर लिया जायेगा शेष प्रतिभागी की जमानत धनराशि उन्हे वापस कर दी जायेगी ।

4– नीलामी स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकारी अन्तिम रूप से सक्षम अधिकारी /माननीय जिला न्यायाधीश भदोही ज्ञानपुर को होगा ।

5– नीलामी स्वीकृत होने पर नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा जमानत धनराशि के अतिरिक्त अन्तिम बोली की शेष धनराशि को एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा।

6– नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि को न जमा करने पर नीलामी अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रतिभागी की जमा जमानत राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

7– नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा नीलामी तिथि के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अदा करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर उक्त वाहन को अपने स्वयं के खर्चे पर निर्धारित स्थान से ले जाना होगा।ऐसा न करने पर जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी जिसका उत्तरदयित्व नीलामी प्राप्तकर्ता की स्वयं होगी।

8– नीलामी प्राप्तकर्ता को नीलाम किये गये वाहन की सुपुर्दगी दी जायेगी।

उपरोक्त वाहन को दिनांक 08.02.2022 से किसी भी कार्य दिवस में (10.00 बजे से 4.00 बजे तक) नाजरात अनुभाग से सम्पर्क कर वाहन का निरीक्षण किया जा सकता है।

दिनांक –07.02.22

अध्यक्ष नीलामी समिति
अपर जिला जज द्वितीय
भदोही ज्ञानपुर।

Scanned with CamScanner